



| | | |
|------------------------------|---|---|
| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर <p style="text-align: center;">शास्त्र वाङ् (सं. 112/14)</p> | आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ |
| | <p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा</p> <p style="text-align: center;">राजेश कुमार सिंह, पिता-श्री नन्द कुमार सिंह, सा0-सोनपुर नखास, थाना-सोनपुर, जिला-सारण</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <hr/> <p>इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.14 में आंशिक संशोधन करते हुए कहना है कि आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2-ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक राजेश कुमार सिंह, पिता-श्री नन्द कुमार सिंह, सा0-सोनपुर नखास, थाना-सोनपुर, जिला-सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उनके दादा के द्वारा धारित रायफल सं0 38778, अनुज्ञप्ति सं0 1954/1942 को रद्द करने के लिए जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सारण अपने प्रशाखा से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">प्रासंगिक आदेश को उक्त हद तक संशोधित समझा जाए।</p> <p>लेखापित्त एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा। </div> <div style="text-align: center;">  जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा। </div> </div> | |

ज्ञापांक 1065 दिनांक 22/12/14

उत्तिलिपि - S.P. साय/जिला शास्त्र उपा, साय/D90,
 N9C साय के सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।



वधि (सं. 112/14)

R50 जिला विधि शाखा
 22/12/14 साय, छपरा।